

भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2419
दिनांक 13 फरवरी, 2014 को उत्तर देने के लिए

आधार कार्ड बनाने में अनियमितताएं

2419. श्री राजीव चन्द्रशेखर:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विशिष्ट पहचान संख्या आधार परियोजना पर अभी तक करदाताओं की कुल कितनी धनराशि/कितनी सरकारी निधि व्यय की गई है;
- (ख) क्या आधार कार्ड नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले हुए हैं और क्या ये कार्ड आवेदक की नागरिकता का सत्यापन किए बिना ही आंबटित किए जा रहे हैं;
- (ग) क्या ऐसी किसी भी एजेंसी, जिन्हें बायोमीट्रिक और अन्य आंकड़े एकत्र करने और आधार कार्ड बनाने के लिए संविदाएं दी गई थीं, के इन अनियमितताओं में संलिप्त होने का पता चला है;
- (घ) यदि हां, तो इन मामलों में दर्ज किए गए एफ. आई. आर. और दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) इस प्रयोजनार्थ संविदाएं देने के लिए एजेंसियों को पैनलबद्ध करने के मानदंड क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री-संसदीय कार्य और योजना
(श्री राजीव शुक्ल)

- (क) 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार, आधार परियोजना पर 3,813.17 करोड़ रूपए खर्च किये गए हैं।

(ख) से (घ) यूआईडीएआई को देश के निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या(आधार) सृजित और निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है। "निवासियों" की परिभाषा नागरिकता(नागरिकों का पंजीयन तथा राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करना) नियम,2003 के नियम 2 में यथोल्लिखित "जनसंख्या पंजी" की परिभाषा पर आधारित है। आधार महज एक पहचान अवसंरचना है तथा आधार पत्र में स्पष्ट उल्लेख होता है कि यह केवल पहचान का प्रमाण है, न कि नागरिकता का।

निवासियों के पंजीकरण के लिए,यूआईडीएआई कई पंजीयकों(जैसे-राज्य सरकारें, भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक आदि) के माध्यम से काम करता है जो खुली तथा पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित पंजीयन एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। पंजीयन एजेंसियों पर पैनी नज़र रखी जाती है तथा सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाली पंजीयन एजेंसियों पर कार्रवाई की जाती है। पंजीयकों की ऐसी कार्रवाई में जुर्माना लगाना, क्रियाकलाप से निलम्बित करना, अथवा उनपर मुकदमा चलाना शामिल हो सकता है जो इस पर निर्भर करता है कि विपथन कितना गंभीर है। अब तक,पंजीयकों ने लगभग 10 पंजीयन एजेंसियों को निलम्बित किया है।

(ड) पैनलबद्धता के लिए पात्रता मानदंड के साथ ऐसी पैनलबद्धता के नियमों और शर्तों का ब्यौरा और पैनलबद्ध पंजीयन एजेंसियों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट (<http://uidai.gov.in/aadhaar-enrolments.html>) पर उपलब्ध है।
